भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-208
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013
मानव स्वास्थ्य पर दूरसंचार टॉवरों का प्रभाव

208. श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दूरसंचार टॉवरों के समीप रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इन टॉवरों के प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन टॉवरों के नजदीक रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में प्रभाव आकलन अध्ययन करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या यह सच है कि मोबाइल फोनों के अत्यधिक उपयोग होने के पश्चात्, कैंसर की घटना में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है;

(घ) क्या सरकार ने घनी आबादी वाले स्थान में मोबाइल सेवा प्रदाताओं हेतु दूरसंचार टॉवरों की स्थापना के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) आवासीय स्थान में मोबाइल सेवाओं हेतु दूरसंचार टॉवर लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र एवं जन स्वास्थ्य (बेस स्टेशन तथा वायरलैस प्रौद्योगिकियाँ) विषय पर मई, 2006 में अपने तथ्य पत्र संख्या 304 में निर्णय किया है कि अभी तक एकत्र अनुसंधान परिणामों और बहुत कम अनावृत्ति स्तर को देखते हुए इस बात का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि बेस स्टेशनों तथा वायरलैस नेटवर्कों से निकलने वाले कमजोर आरएफ संकेतों के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। अभी तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से बेस स्टेशनों से उत्पन्न आरएफ संकेतों से स्वास्थ्य पर अल्पकालीन या दीर्घकालीन कुप्रभावों का पता नहीं चला है।

मोबाइल फोनों से निकलने वाले विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण से मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के बारे में अभी तक कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध अध्ययन सामग्री की समीक्षा करने पर मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडियो आवृत्ति ईएमएफ विकिरण से सुरक्षा जोखिम विशेषकर कैंसर के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य स्थापित नहीं होता। मोबाइल फोन के प्रयोग से रेडियो आवृत्ति विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव, यदि कोई हों तो, की जानकारी के लिए अध्ययन जारी हैं।

तथापि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) ने मोबाइल टावरों तथा हैंडसेटों से उत्पन्न ईएमएफ विकिरण क्षेत्र से जीवन (मानवों, जीवित प्राणियों, वनस्पति एवं जीवों तथा पर्यावरण) पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव का मूल्यांकन करने एवं अन्य संबंधित पहलों के लिए सितम्बर, 2013 में एक विशेषज्ञ समिति/कार्य बल का गठन किया है।

(घ) दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावरों की संस्थापना हेतु मंजूरी जारी करने के लिए राज्य सरकारों को दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी मार्गदर्शी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ड.) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुशंसा की है कि राष्ट्रीय प्राधिकारियों को आरएफ क्षेत्रों के कुप्रभाव संबंधी स्तरों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को अपनाना चाहिए। उन्हें उन क्षेत्रों में अभिगम को सीमित करना चाहिए जहाँ अनावृत्ति सीमाएं बहुत अधिक हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय गैर आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) का संदर्भ दिया है जिसमें आम जनता की सुरक्षा के लिए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) से निकलने वाले ईएमएफ उत्सर्जन के स्तरों को सीमित करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2008 में आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित ईएमएफ विकिरण संबंधी सीमाओं को अपनाया है जिन्हें दिनांक 01.09.2012 से और कम करके आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमाओं का 1/10वाँ भाग कर दिया गया। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावरों की ईएमएफ विकिरण संबंधी इन निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करना है।

****